राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत

क्रमांक / कोरोना / सामान्य / 2020—21 / SPL-1 दिनांक08.05.2020

आदेश

अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

सिरोही जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड—19)के संक्रमण फैलने की संभावनाओ के मध्येनजर नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश संख्या प.16(12)( )कोरोना / न्याय / 20 / 2070 दिनांक 03.05.2020 से दण्ड प्रकिंया संहिता 1923 की घारा 144 के तहत निषेघाज्ञा जारी की गई है।

सिरोही जिले के तहसील आबूरोड में जगदीश चौराहा गुरूदारे के सामने आबूरोड पुलिस थाना आबूरोड शहर के नोवल कोराना वायरस (कोविड—19) से संकमित 01 व्यक्ति चिन्हित होने एवं इससे उत्पन्न महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने तथा संक्रमण की वर्तमान स्थिति को मध्यनजर रखते हुये अविलम्ब आबूरोड शहर तहसील आबूरोड पुलिस थाना आबूरोड शहर को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव / नियंत्रण एवं मानवीय जीवन की रक्षा / सुरक्षा के मध्यनजर रखते हुये मुझे यह समाधान हो गया है एंव मै संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में जिला सिरोही के तहसील क्षेत्र आबूरोड में दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेघाज्ञा (कर्फ्यू) लगाया जाना आवश्यक समझता हूँ।

अतः डॉ. रविन्द्र गोस्वामी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट आबूपर्वत में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की घारा 144 के तहत तहसील आबूरोड के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूँ :—

सिरोही जिले के तहसील आबूरोड में जगदीश चौराहा गुरूद्वारे के सामने आबूरोड पुलिस थाना आबूरोड शहर में नोवल कोरोना वायरस **COVID-19** से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं इससे उत्पन्न महामारी से संक्रमण को फेलने से रोकने तथा संक्रमण की वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते निम्नांकित इन्टेन्सीफाईड कन्टेनमेन्ट जोन, कन्टेनमेन्ट जोन को जीरो मोबिलिटी घोषित किया जाकर दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा (कर्फ्यु) लगाया जाता है।

INTENSIFIED CONTAINMENT BUFFER ZONE- EPICENTRE:- एक किमी तकः—सन्दर्भित घर से जगदीश चौराहा गुरूद्वारा से घोसी मोहल्ला, जगदीश चौराहा से रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, लुनियापुरा दरगाह तक, जगदीश चौराहा से पारसीचाल, संजीवनी हॉस्पिटल, अर्बुदा स्कुल,कृषि उपज मंडी तक, जगदीश चौराहा से कुम्हार मोहल्ला, भिस्ती मोहल्ला, ईदगाह तक, जगदीश चौराहा से पुनम कॉलोनी केसरगंज तक, जगदीश चौराहा से जैन धर्मशाला, खारवाल मोहल्ला, हनुमानजी मंदिर जुनीखराडी, सब्जी मंडी पुलिस थाना आबूरोड शहर तक जिसमें वार्ड संख्या 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सम्पूर्ण वार्ड क्षेत्र।

CONTAINMENT ZONE:- Epicentre से जगदीश चौराहा से एक किमी परिधि से आगे एवं लगभग 3 किमी परिधि तक वाले स्थान यथाः— वार्ड संख्या 17, 18, 21, 23, 24, 27, सम्पूर्ण क्षेत्र एवं वार्ड संख्या 8 आशिंक

उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत

1. कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुये उपरोक्त नगरपालिका सीमा में परिधि में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नही करेगे। इस क्षैत्र की जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर (लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन निर्गमन) प्रतिबंधित किया जाता है।
2. उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोडकर अन्य समस्त व्यवसायिक एव वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियों एवं रैली, जुलुस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगे।
3. उपरोक्त क्षेत्र में व्यवसायिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों से दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एव जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मण्डी आगामी आदेशों तक बंद रहेगे।
4. उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
5. उक्त क्षैत्र में समस्त प्रकार के वाहनों हेतु आवश्यकतानुसार अधिकारी/कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपभोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होगे। साथ नगर परिषद/पालिका की व्यस्थाओं से जुडे वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विघुत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा एंव अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेगे।
6. उक्त क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्टस पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्कीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नही करे और ना ही उक्त क्षैत्र से बाहर निकले।
7. यह प्रतिबंध अंतिम संस्कार/अंतिम विधियों से संबंधित, बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नही होगा।
8. उक्त क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा सेवाओं से जुडे हुए व्यक्ति/संस्थान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगे।
9. मै उक्त क्षेत्र के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नही करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लधंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि समयाभाव के कारण यह संभव नही है कि उक्त आदेश प्रत्येक व्यक्ति को अलग– अलग सूचित किया जावे एवं प्रत्येक को अलग अलग नोटिस जारी कर तामिल करवाया जावे। अतः यह आदेश एक तरफा प्रसारित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया, तो तुरन्त प्रभावी होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत

उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत

प्रतिलिपी

क्रमांक / कोरोना / सामान्य / 2020–21 /SPL-1 दिनांक08.05.2020

1. श्रीमान संभागीय आयुक्त जोधपुर / श्रीमान महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जोधपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सिरोही।
3. श्रीमान् पुलिस अधिक्षक महोदय सिरोही।
4. श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक महोदय आबूपर्वत को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्तानुसार आदेश की पालना हेतु समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित करावे।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सिरोही / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही।
6. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही / शिवंगज / रेवदर / पिण्डवाडा।
7. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही / शिवंगत / रेवदर / पिण्डवाडा।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
9. समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण.. ।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति आबूरोड।
11. आयुक्त नगर परिषद सिरोही / आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत।
12. अधिशाषी अधिकारी आबूरोड / पिण्डवाडा / शिवंगज।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
14. प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष / आपदा प्रबंधन / विकास शाखा।
15. निजी सहायक, उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत।

उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत

उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत